

कार्यालय: औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अलवर

क्रमांक:- 278

दिनांक:- 24.05.2021

कोरोना संक्रमण की तेज रफतार के प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में घोषित **त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉक-डाउन** के मध्येनजर कैम्प भिवाड़ी व निगराणा सहित इस न्यायालय के कॉलम सं. 02 में वर्णित पेशियों पर नियत अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में कॉलम सं. 03 में वर्णित अनुसार आगामी पेशी (कॉमन) नियत की जाती है:-

(1) क्र. सं.	(2) नियत पेशी	(3) आगामी पेशी (कॉमन)
1	25 मई 2021 मंगलवार	29 जून 2021 मंगलवार
2	26 मई 2021 बुधवार	30 जून 2021 बुधवार
3	27 मई 2021 गुरुवार	01 जुलाई 2021 गुरुवार
4	28 मई 2021 शुक्रवार (कैम्प भिवाड़ी)	23 जुलाई 2021 शुक्रवार (कैम्प भिवाड़ी)
5	31 मई 2021 सोमवार	05 जुलाई 2021 सोमवार
6	01 जून 2021 मंगलवार	06 जुलाई 2021 मंगलवार
7	02 जून 2021 बुधवार	07 जुलाई 2021 बुधवार
8	03 जून 2021 गुरुवार	08 जुलाई 2021 गुरुवार
9	04 जून 2021 शुक्रवार (कैम्प नीमराणा)	06 अगस्त 2021 शुक्रवार (कैम्प नीमराणा)
10	07 जून 2021 सोमवार	12 जुलाई 2021 सोमवार
11	08 जून 2021 मंगलवार	13 जुलाई 2021 मंगलवार

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 10/PI/2021 दिनांक 24.05.2021 के अनुसरण में अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण/ प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के ई-मेल आईडी lc-alw-rj@hcraj.nic.in पर प्रेषित कर इस शर्त पर दर्ज करवाये जा सकते हैं कि उनकी मूल प्रति न्यायालय में सुचारु कार्य प्रारम्भ होने पर अविलम्ब प्रस्तुत कर दी जावेगी। ऐसे अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों/प्रार्थना पत्रों में पक्षकार के ई-मेल पता एवं वाट्सएप नम्बर अंकित किये जाने पर ही उन्हें विचार में लिया जावेगा।
- उक्त परिपत्रानुसार अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई वाट्सएप नम्बर 8279080722 के माध्यम से की जावेगी।
- उक्त आदेश की एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति वाट्सएप के जरिये सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अलवर को प्रेषित कर जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाए। इस आदेश की प्रति स्थानीय/संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव को भी वाट्सएप के जरिये प्रेषित की जावे। उक्त कॉमन पेशियों की सी आई एस पर भी प्रविष्टि अविलम्ब की जावे।

आज्ञा से


रीडर

औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय
अलवर(राज.)